IJAER/March-April-2022/Volume-11/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

कौशल विकास द्वारा सहकारी समितियों के कायाकल्प का एक अध्ययन

Abhishek Kumar Pant
Assistant Professor
Department of Commerce
LSM Govt. P.G. College
Pithoragarh (Uttarakhand)

सारांश

आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में सहकारी समितियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, ताकि उनकी ताकत, कमजोरियों व इनसे जुड़े अवसरों और खतरों पर भी नए नजरिए से विचार–विमर्श किया जा सके। इसके अलावा, सहकारी आंदोलनों और समितियों के लिए रोडमैप बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह समिति अहम भूमिका निभा सकें। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है।

मुख्य शब्दः सामाजिक, आर्थिक, ग्रामीण, कौशल, विकास, सहकारी समितियों, कायाकल्प, सामाजिक व्यवस्था आदि।

प्रस्तावना

''सहकारिता भारत के सामाजिक–आर्थिक ढाँचे की मूल संस्कृति है। ग्रामीण इलाकों में मौजूद कृषि–आधारित सहकारी समितियाँ खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इससे लोगों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है और उनकी आर्थिक हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। मौजूदा हमारा बाजार उपभोक्ता केंद्रित है और आर्थिक माहौल तकनीक से संचालित है। अतः सहकारी समितियों को स्मार्ट, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के लिए उनमें उद्यम प्रवृत्ति, कारोबारी कौशल आदि का होना जरूरी है। सहकारी समितियों की सफलता इन चार चीजों पर निर्भर करती है– संस्थागत और कारोबारी तौर–तरीकों का मानवीकरण, सदस्यता और कारोबारी स्तर में बढ़ोत्तरी, अलग–अलग तरह के कौशल का प्रशिक्षण और संचालन व प्रबंधन का बेहतर तौर–तरीकों की अहम भूमिका रहती है।[1]

सहकारी समितियाँ स्वयंसहायता वाले सामुदायिक संगठन होते हैं जो स्वयंसहायता और जमीनी–स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य हासिल करते हैं,वह बेहतर मकसद के लिए देश के संसाधनों के उत्पादन, वितरण और सामाजिक नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाते है। सहकारी समितियों को सामाजिक और आर्थिक नीति का कारगर औजार माना जाता है और गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा व रोजगार सृजन में यह समितियाँ बेहद प्रभावी ही रहती है। इनके

जरिए ऐसे क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों असफल और निष्प्रभावी दिखाई दे रहे हो।

सहकारी समितियाँ पूँजी केंद्रित होने के बजाय लोक–केंद्रित होती है, इसलिए समय–समय पर कौशल के प्रशिक्षण और क्षमता विकसित करने की जरूरत होती है, ताकि कारोबारी प्रणाली में सामुदायिक नेतृत्व, समय प्रबंधन रचनात्मकता व नवाचार और बेहतर कारोबारी प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। सामुदायिक कारोबारी संगठनों से जुड़े बेहतर कौशल वाले कर्मी चुनौतियों और समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम माने जाते हैं जिससे तीव्र गति से विकास हो सके।[2]

भारत का सहकारी आंदोलन ऐसे समय में शुरू हुआ, जब ग्रामीण उद्योगों, कृषि, ग्रामीण आय और रोजगार पर औद्योगिक उत्तरार्ध की बात है। आजादी से पहले के भारत में इस आंदोलन को पहली सफलता तब मिली, जब 1904 में भारत की स्वतंत्रता से सहकारी सोसाइटी कानून पास हुआ। इससे सहकारी समितियों को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह सहकारी आंदोलन को रफ्तार मिली। इस क्षेत्र में कुशल सहकारी, तकनीकी रूप से योग्य और विशेषज्ञ कर्मियों की उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ कायम रही हैं। सहकारी समितियों में कौशल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत में इस आंदोलन के जनक (स्वर्गीय) बैकुंठ मेहता ने कहा था, 'सहकारी प्रशिक्षण न सिर्फ पूर्व निर्धारित शर्त है, बल्कि यह सहकारी गतिविधियों के लिए स्थायी शर्त है।' कहने का मतलब यह था कि विषयगत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिए सहकारी समितियों में सदस्यों और बोर्ड के निदेशकों की क्षमता बढ़ाने की सख्त जरूरत है ताकि वह बदलते हुए आर्थिक माहौल की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें।[3]

कौशल की स्थिति और अहमियत

आर्थिक विकास और समावेशी गतिविधियाँ मुख्य तौर पर युवाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर निर्भर होती है। जाहिर तौर पर इनमें युवाओं की सक्रियता सबसे ज्यादा होती है। युवाओं के लिए नियमित तौर पर आजीविका, आय और रोजगार सुनिश्चित करने की खातिर पारंपरिक प्रशिक्षण के बजाय उन्हें नई–नई चीजों के बारे में जानकारी मुहैया कराकर उनकी क्षमता बेहतर करने की जरूरत है। एन.सी.यू.आई. के 61वें दौर के सर्वे के नतीजे बताते है कि 15–29 साल के लोगों में सिर्फ 2 प्रतिशत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है और 8 प्रतिशत को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है। इसमें साफ है कि काफी कम युवाओं को औपचारिक तौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम मिलता है। औद्योगिक देशों से यह आँकड़े काफी ज्यादा

हैं। इन देशों के 20–24 साल के आयु वर्ग के लोगों की बात करें, तो यह आँकड़ा 60 से 96 प्रतिशत तक बैठता है, जो रोजगार कीजरूरतों के हिसाब से बेहद उपयुक्त नहीं है।

कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति (2015) का मकसद देश में बेहतर कौशल के जरिए सशक्तीकरण का माहौल तैयार करना और नवाचार–आधारित उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। देश की ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए मुख्य तौर पर कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। विकास की दिशा में अग्रसर राष्ट्र को बदलाव का लक्ष्य हासिल करने के लिए संस्थाओं, उद्यमिता और कौशल विकास की जरूरत होती है।[4] भारत के पास पर्याप्त मानव संसाधन है। हमें सिर्फ शिक्षा प्रशिक्षण, कौशल विकास, सशक्तीकरण के जरिए मानव संसाधन के विकास के लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। साथ ही इस विशाल मानव पूँजी के लिए अनुकूल सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल उपलब्ध कराना होगा।

कौशल से युवाओं को लैस करने की चुनौतियाँ

अनेकों शोध रिपोर्ट से पता चलता है कि नीति निर्माता कौशल–संबंधी गतिविधियों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देते हैं। यह अक्सर वैसे लोगों के लिए आखिरी विकल्प होता है जो औपचारिक शैक्षणिक प्रणाली में आगे नहीं बढ़ पाए और उससे बाहर निकल गए। तकरीबन 20 से भी ज्यादा मंत्रालयों/विभागों के पास कौशल और उद्यमिता विकास से संबंधित योजनाएँ और कार्यक्रम है। हालांकि, तालमेल और निगरानी से जुड़े बेहतर क्षेत्र के अभाव मे यह योजनाऐं प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाती है। यहाँ कुछ चुनौतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से कौशल विकास अभियान में बाधा पहुंचती है। लिहाजा इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे

- बहुस्तरीय आंकलन और कौशल प्रमाणीकरण प्रणाली की कमी,
- विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का अभाव, उद्योग जगत के बेहतर संसाधनों को संकाय के रूप में आकर्षित करने में असमर्थता
- क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर मांग और आपूर्ति में असंतुलन,
- कौशल और उच्च शिक्षा कार्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित आदान–प्रदान
- कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रम का पुराना और सीमित होना, महिला, कार्यबल की भागीदारी में गिरावट,
- गैर–कृषि/असंगठित क्षेत्र में सीमित उत्पादकता के साथ रोजगार,

- औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमिता कौशल नहीं करना,
- कौशल विकास को बढ़ाने वाली स्टार्टअप कंपनियों के लिए वित्तपोषण और संरक्षण की कमी.
- नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन की कमी।[5]

आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारी समितियों को कौशलयुक्त बनाना –

सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सकता है। हाल में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियों में भी यह समितियाँ असरदार भूमिका निभा सकती है। इन समितियों के जरिए कृषि आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ मसलन सिचाई, मार्केटिंग, प्रसंस्करण, भंडारण आदि की दिशा में बेहतर काम किया जा सकता है। साथ ही, पोल्ट्री बागवानी, डेयरी, कपड़ा, प्रसंस्करण, आवास, स्वास्थ्य आदि के मोर्चे पर भी प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है।

सहकारी समितियों का संचालन, संगठनात्मक कौशल, टीम भावना, पारस्परिक संवाद, कार्य आवंटन, भुगतान/लेन–देन, बाजार प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला आदि के मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। स्थानीय संसाधनों के जरिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए हमें 'उद्यमिता' की बेहतर संस्कृति विकसित करनी होगी। इसमें सहकारी क्षेत्र सार्थक भूमिका निभा सकता है। बेशक देश में सहकारी समितियों की पहुँच व्यापक स्तर पर है, मगर इन समितियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर इन समितियों को पर्याप्त संसाधन इकट्ठा करने में मुश्किल होती है। जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर और सीमित होना, महिला, कार्यबल की भागीदारी में आर्थिक रूप से टिकाऊ बनने के लिए इन समितियों को संसाधन इकट्ठा करना होगा। संचालन नियामक और नेतृत्व संबंधी समस्याओं ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर किया है।[6]

कारोबार अब ज्यादा उपभोक्ता केंद्रित बाजार केंद्रित और तकनीक केंद्रित हो गए हैं। ऐसे में सहकारी समितियों को बाजार में टिके रहने के लिए नवाचारी कारोबारी तौर–तरीकों को अपनाना होगा। इसके लिए प्रभावी तरीके से क्षमता निर्माण के साथ–साथ सहकारी समितियों से जुड़े मानव संसाधनों को बेहतर कौशल के प्रति सचेत और जागरुक करना होगा।

भारतीय सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए सरकार को पहल करनी होगी। सहकारी क्षेत्र राज्य का विषय है और यह मुख्य तौर पर राज्य–स्तरीय योजनाओं और उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। इन संस्थानों को अपनी गतिविधि के संचालन से जुड़े तौर–तरीकों में व्यापक बदलाव की जरूरत है।

सहकारी समितियों आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम ग्रामीण वित्तीय संगठन के तौर पर स्थापित हो सकेंगी।

साथ ही, इन समितियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएँ और बेहतर रिकवरी अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत सरकार में अलग सहकारिता मंत्रालयों के गठन के साथ ही देश में सहकारी आंदोलन के पुनरुत्थान को लेकर गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। इस तरह देश को ' सहकारिता से–समृद्धि मिशन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा मिल गई है।

ग्रामीण कृषि सहकारी समितियों को कौशलयुक्त बनाना है।

देश की कुल 8.5 लाख सहकारी समितियों में से तकरीबन 20 प्रतिशत (1.77 लाख) कर्ज मुहैया कराने वाली समितियाँ (तालिका सं0–1) हैं। बाकी 80 प्रतिशत कर्ज नहीं देती हैं। यह समितियाँ मछली पालन, कपड़ा, हस्तकला, डेयरी, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक मार्केटिंग, पर्यटन, अस्पताल, आवास, कृषि, सेवा आदि गतिविधियों में सक्रिय हैं। अगर सदस्यता के लिहाज से बात करें, तो सहकारी समितियों में तकरीबन 29 करोड़ किसान पंजीकृत हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) सामुदायिक स्तर पर आधारित सहकारी समिति है। पैक्स का मकसद किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना है। पैक्स के पास सदस्य किसानों की जरूरतों और हितों के हिसाब से बहुस्तरीय सेवाएँ और गतिविधियाँ होनी चाहिए। कर्ज नहीं देने वाली सहकारी समितियाँ, खासतौर पर उत्पादकों से जुड़ी सहकारी समितियाँ, समलन मछली पालन, डेयरी, प्रसंस्करण, कृषि, सेवा आधारित समितियों को ग्रामीण कृषि आधारित समितियाँ' माना जा सकता है।[7]

तालिका सं. 1 – भारत में सहकारी समितियाँ

क्र.सं.	समितियाँ की श्रेणी	समितियों की संख्या	कुल समितियों की प्रतिशत
अ. ऋण नहीं देने वाली समितियाँ			
1.	मार्केटिंग	7,399	1.09
2.	उपभोक्ता	26,355	3.90
3.	डेयरी	1,51,956	22.45
4.	शुगर (चीनी / गन्ना)	656	0.09
5.	श्रम	46,953	6.93
6.	मछली पालन	23,670	3.50

7.	पशुधन	8,383	1.23
8.	कपड़ा / हथकरघा	17,507	2.60
9.	कृषि प्रसंस्करण	29,901	4.41
10.	बहुउद्देशीय	14,932	2.20
11	सेवा क्षेत्र	3,779	0.55
12	अनुसूचित जाति / जनजाति	1,707	0.25
13.	अन्य	3,43,552	50.76
ब.	श्रम नहीं देने वाली समितियाँ	6,76,750	10.0
स.	श्रम देने वाली समिततियाँ	1,77,605	–
	कुल (अ+ब)	8,54,355	

स्रोतः भारतीय सहकारी आंदोलनः ऑकड़े, एन.सी.यू.आई., 15वां संस्करण, 2018

21वीं सदी में विज्ञान की प्रगति के साथ ही ज्ञान और कौशल के दायरे का भी विस्तार हुआ है और इनकी जटिलताएँ भी बढ़ी है। नई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कौशल का दायरा पेशेवर, वैचारिक, प्रबंधकीय संचालन संबंधी व्यवहारों संबंधी आदि तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है

अतः मौजूदा वक्त की जरूरत कौशल संबंधी कमियों की पहचान कर ग्रामीण कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ी सहकारी समितियों के लिए करना होगा असरदार तंत्र, ताकि सहकारी क्षेत्र में टिकाऊ कारोबारी माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

आजीविका और कौशल का टिकाऊ विकल्प –

आजीविका के लिए नियमित अवसर सुनिश्चित करना जटिल काम है और इसमें कई तरह की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। डीएफआईडी के मुताबिक, 'आजीविका से आशय जीवन चलाने के लिए उपलब्ध जरूरी क्षमताओं, संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों से हैं। अगर आजीविका का साधन मुश्किलों और झटकों से उबरने में सक्षम है, यह अपनी क्षमताओं और संपत्तियों को बरकरार रखता है या इसे बढ़ाता है, अगली पीढ़ी के लिए भी नियमित तौर पर आजीविका के लिए अवसर उपलब्ध कराता है और छोटी व लंबी अवधि में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बाकी आजीविकाओं में योगदान करता है, तो इसे टिकाऊ माना जाता है (डीएफआईडी, 2001)।

अतः स्थानीय लोगों की जरूरतों और समस्याओं, उनके ज्ञान के स्तर, धारणाओं और हितों, समस्याओं से निपटने के तौर–तरीकों, संस्थागत तंत्र और संगठनिक ढाँचों के बारे में समझना जरूरी है। इससे आजीविका के मौजूदा ढर्रे और इससे संबंधित समस्याओं को समग्र दृष्टि से समझने में मदद मिलेगी।

इस तरह, स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी। संस्था के तौर पर, कृषि आधारित सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों और सामाजिक सहयोग संबंधी क्षमताओं का बेहतर पोर्टफोलियों तैयार करना चाहिए, ताकि उनके सदस्यों की आय और जीवन–स्तर में बेहतरी हासिल हो सके।

समुदाय–आधारित और किसान की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को बाजार आधारित कृषि व्यवस्था को अपनाने की जरूरत है। इन समितियाँ को बेहतर कृषि प्रबंधन और उद्यमिता कौशल की आवश्यकता है। सहकारी समितियों को अपने कारोबारी विकास के लिए 6 तरह की पूंजी को मिलाकर काम करना होगा –

1. मानव पूंजी जहाँ कौशल, ज्ञान, क्षमता से आजीविका संबंधी बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी,
2. सामाजिक पूँजी जिसके तहत सामाजिक संसाधनों, नेटवर्क, ग्रुप की सदस्यता, लोगों को उनकी आजीविका के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
3. भौतिक पूँजी जहाँ बुनियादी आधारभूत संरचना उत्पादन संबंधी उपकरण लोगों को आजीविका के लिए सक्षम बनाते हैं,
4. प्राकृतिक पूँजी जहाँ जमीन पानी, जैव–विविधता, पर्यावरण संबंधी संसाधन आजीविका उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं.
5. वित्तीय पूँजी जहाँ बचत, कर्ज की उपलब्धता बगैरह आजीविका के विकल्प को व्यापक बनाते हैं,
6. सूचना पूँजी जहाँ सूचनाओं की उपलब्धता और समर्थता लोगों को तय समय पर सही कारोबारी फैसले लेने में मदद करती है।

निष्कर्ष

गाँवों और शहरों के बीच मौजूदा खाई को पाटने और आमदनी के अवसरो को पैदा करने में सहकारी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। नए दौर यानी 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारी प्रतिस्पर्धा वाले इस माहौल में सहकारी समितियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है ताकि उनकी ताकत, कमजोरियों व इनसे जुड़े अवसरों और खतरों पर भी नए नजरिए से विचार–विमर्श किया जा सके। इसके अलावा सहकारी आंदोलन और समितियों के लिए रोडमैप बनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में

यह समितियाँ अहम भूमिका निभा सकें। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को भी बेहतर प्रयोग किया जा सके इसीलिये इससे जुड़े तमाम संबंधित पक्षों को मिल–जुल कर काम करने की जरूरत है, ताकि सहकारी समिततियों के सदस्य, किसान, महिलाएँ और युवा अपना रोजगार संबंधी कौशल बढ़ा सकें और सहकारी समितियों में आय संबंधी गतिविधियों के लिय गुंजाइश बना सके और देश की तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि सहकारी समितियों को बदलते कारोबारी परिदृश्य के हिसाब से भी काम करना होगा जिससे इन समितियों को प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। सहकारी समितियों को यह समझना चाहिए कि उद्यमिता के विकास में उनका सशक्तीकरण तेजी से होगा। इसके अलावा, बाजार की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता व तकनीक आधारित इस दौर में सहकारी समितियों को उद्यमिता संबंधी रुझानों, कारोबारी कौशल आदि के बारे में सचेत और जागरुक करने की जरूरत है ताकि उन्हें स्मार्ट, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाया जा सके। सहकारी समितियों की सफलता इन चार बातों पर निर्भर करती है–संस्थागत और कारोबारी तौर–तरीकों का मानवीकरण, सदस्यता और कारोबार के दायरे में बढ़ोत्तरी, हर तरह के कौशल की उपलब्धता (हार्ड/तकनीकी और सॉफ्ट/प्रक्रिया कौशल और सुशासन व बेहतर प्रबंधन के तौर–तरीकों का निर्वाह करने का मुख्य लक्ष रखा गया है जिससे सहकारी समिततियों के माध्यम से जनसामान्य को लाभ होना चाहिये जिससे यह देश में विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. के. के. त्रिपाठी एवं डॉ. एस. के. वाडकर कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2015, पृ0 23
2. डॉ0 के के त्रिपाठी, सहकारिता मंत्रालय में ओएसडी है
3. कुरुक्षेत्र 2021, अभिनय कौशल और आजीविका, पृ0 33
4. योजना 2019, 2020, पृ0 104
5. प्रोफेसर आर.एन. तिवारी, स्यातिलब्ध लेखक, स्किल इण्डिया के आलेख, पृ0 66
6. दैनिक समाचार पत्र नवस्वदेश, 2021, पृ0 9
7. दैनिक समाचार पत्र–पत्रिका (सामयिन लेख से), उ0प्र0, पृ0 8